

प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जिले में 8 फरवरी से 24 तक किसानों के लिए विशेष अभियान शुरू

झुंझुनू, 12 फरवरी : भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज सभी परिवारों को बैंको के किसान क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने के लिए बैंक मित्र-सखी, बीसी, स्थानीय प्रशासन, सरपंच तथा पंचायत सचिव के सहयोग से 8 फरवरी से 24 फरवरी तक विशेष अभियान सभी जिलों में चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान, अग्रणी जिला प्रबन्धक जे पी मीणा एवं जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड राजेश मीणा ने अभियान के बारे जानकारी देते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड- पीएम किसान पोर्टल से शासन द्वारा झुंझुनू जिले के आकड़ों के अनुसार 182452 किसान पोर्टल पर जुड़े हैं, निर्देशों के अनुरूप इन सभी को बैंको के किसान कार्ड से जोड़ा जाना आवश्यक है, झुंझुनू जिले की समस्त बैंक शाखाओं के जिला प्रभारी अग्रणी जिला प्रबन्धक जे पी मीणा के अनुसार पोर्टल पर जुड़े अधिकतम किसान बैंको से किसान कार्ड पहले ही बना कर लाभान्वित हो रहे हैं बैंको में परिवार के सदस्यों में भाइयों के पुत्र, पुत्रियों के संयुक्त खाते हैं, जबकि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना में पोर्टल पर किसान अलग-अलग खाते दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि फिर भी कोई इस सुविधा से वंचित है अपनी संबन्धित बैंक शाखा के पास अपनी भूमि से संबन्धित राजस्व विभाग से सत्यापित खसरा खतोनी एव केवाईसी ले जाकर बैंको द्वारा अपनाई जा रही सरल प्रक्रिया के तहत अपना किसान कार्ड बनवाने के हकदार है। उन्होंने बताया कि इसमें 1.60 लाख तक की लिमिट बनाने पर किसान की कृषि भूमि बंधक नहीं रखा जाना है, साथ ही 3 लाख तक की लिमिट पर किसी प्रकार का कोई सर्विस चार्ज बैंको द्वारा नहीं लिया जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ष की नामिनल प्रीमियम पर अपना 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा करा सकता है दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान के परिवार को 2 लाख तथा बीमा के नियमों अनुसार स्थायी पक्षाघात, अपंग होने पर 1 लाख तक की सहायता दी जाती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति 330 रुपये प्रतिवर्ष की नामिनल प्रीमियम पर अपना 2 लाख तक का जीवन बीमा करा सकता है इसमें किसान किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। झुंझुनू जिले में शासन की किसान कार्ड योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना तथा अन्य शासकीय योजनाओं में जिला प्रशासन की और से जिला कलेक्टर उमरदीन खान, अग्रणी जिला प्रबन्धक जे पी मीणा एवं जिला विकास प्रबन्धक (नाबार्ड) राजेश मीणा द्वारा वंचित, गरीब, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी बैंको के जिला बैंकर्स समन्वयकों से आव्हान किया है कि वे अभियान को सफल बनाने के लिए भ्रूप्रयास करें।
